शासनादेश संख्या-8/2019/बी-2-141 /दस-2019-2/2018
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2019

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में आडिट अनुशासन की **5 प्रतिशत** धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-6/2019/बी-2-138/दस-2019-2/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा आडिट कराने वाली ग्राम पंचायतों को आडिट अनुशासन की **5%** धनराशि **रूपये** 121,87,50,000/- (एक सौ इक्कीस करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) ग्राम पंचायतों को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में त्रुटिवश तिथि दिनांक 30 मार्च, 2018 अंकित हो गया है। अतएव शासनादेश में अंकित तिथि दिनांक 30 मार्च, 2018 के स्थान पर दिनांक 30 मार्च, 2019 पढा जाय।

3- पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-6/2019/बी-2-138/दस-2019-2/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व में शासनादेश में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-8/2019/बी-2-141(1)/दस-2019-2/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

9- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।